अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक: 441 **/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2022** **दिनांक** 28**/03/2022**

सेवा में,

1– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

2– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय रा0मा0/ए0डी0बी0/विश्व बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा।

विषय:– **स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022 हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

सन्दर्भ:– **इस कार्यालय के पत्रसंख्या–73/34व्यक–स्थाना0–सा0/2020 दिनांक–06.01.2021।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2022 हेतु कार्मिकों का सेवा विवरण Online website पर Data Entry करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त सम्बन्ध में H.R.M.S. पोर्टल में लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जो कि स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आते है की Data Entry की जानी है, जिससे कि उच्च स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर H.R.M.S. पोर्टल पर अपलोड Data से किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सूचना के अनुसार कार्यवाही की जा सके। H.R.M.S. पोर्टल पर सही सूचना अपलोड किये जाने हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्षों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था।

H.R.M.S. पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये अपलोड Data के अनुसार भरे गये सेवा विवरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सेवा विवरण एवं कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा अभिलेखों में भिन्नता हो रही है। जैसे कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर हो चुकी है उसका Data अभी विरिष्ठ सहायक के पद पर ही प्रदर्शित हो रहा है, इसी प्रकार कतिपय सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति होने के पश्चात भी उनकी Data Entry अभी भी सहायक अभियन्ता के पद पर ही प्रदर्शित हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में दिये गये निर्देशों का आपके अधिनस्थों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है जो कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है।

पुनः उपरोक्त सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाता है कि H.R.M.S. पोर्टल पर सही सूचना अपलोड किये जाने हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्षों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अपने–अपने कार्यालय से सम्बन्धित कार्मिकों का सेवा विवरण Upload करते हुए भरे गये विवरण को सत्यापित कर इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कार्मिकों के सेवा विवरण की Data Entry करवाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश देने की कृपा करें। विलम्ब का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

28/03/22

(जीवन सिंह ह्यांकी)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को संज्ञानार्थ।
02. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
04. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस पत्र की विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
06. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
07. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन—ख/ग/घ एवं कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान)